भाग-2
विकलांग जन अधिनियम - 1995 (Ist Act of 1996)
एवं इसके अन्तर्गत की गई कार्यवाही

विकलांग जन अधिनियम - एक सूक्ष्म परिचय

विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के समग्र कल्याण हेतु भारत सरकार ने “विकलांग-जन (समान अवसर, अभिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (Ist Act of 1996)" नामक जो 7 फरवरी, 1996 से जम्मू-कश्मीर की छोटे क्षेत्र के समस्या भारतवर्ष में प्राप्त हो गया है। इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय एवं 74 धारायें हैं। अध्याय-1 अधिनियम की विषयवस्तु का सूक्ष्म विवरण निम्नवत है:

अध्याय-1 प्रस्तावना: - विभिन्न परिस्थितियों एवं अधिनियम में प्रमुख शब्दावली का उल्लेख है। विकलांगता का अर्थ नेत्रहीन, अल्पहृद, कुच रोग मुक्त, बाल एवं शरीर बाधित, चिकना अपगत, मानसिक मंदता तथा मानसिक रोग है। किसी समस्या चिकित्साधीकारी द्वारा उस प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि विकलांग की विकलांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं है।

अध्याय-2 केंद्रीय समन्वय समिति तथा कार्यकारिणी समिति: - 1. केंद्रीय सरकार समाज कल्याण मंत्री की अधिकार में एक केंद्रीय समन्वय समिति का गठन करेगी जिसमें कुल 39 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में 24 सदस्य सरकारी तथा 15 सरकार द्वारा नियुक्त होंगे, जिसमें विकलांगों के समाधिकृत गैर सरकारी संगठनों एवं संधों का प्रतिनिधित्व होगा। नामित सदस्यों में कम से कम एक महिला तथा एक व्यक्ति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से अवश्य शामिल होगा। सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। केंद्रीय समन्वय समिति सरकार, सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों का पुनरीक्षण एवं समन्वय तथा एक राष्ट्रीय नीति का विकास करेगी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार को नीति, कार्यक्रम विधान तथा परियोजनायें तैयार करने के लिए परामर्श भी देगी।

2. केंद्रीय कार्यकारिणी समिति केंद्रीय समन्वय समिति के निर्णयों का कार्यान्वयन करेगी। समिति की 3 साल में एक बार बैठक अवसर होगी। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में 23 सदस्य होंगे। जिसमें विकलांगों से सम्बन्ध 5 व्यक्ति भी शामिल होंगे।

इसमें धारा 3 से 12 तक कुल 10 धारायें हैं।

अध्याय-3 राज्य समन्वय समिति तथा कार्यकारिणी समिति: - 1. राज्य समन्वय समिति के समान प्रत्येक राज्य 23 सदस्य तथा गैर सरकारी सदस्यों में प्रत्येक एक राज्य समन्वय समिति नियुक्त करेगा। सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

राज्य कार्यकारिणी समिति में 13 सदस्य तथा 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे जिसके कार्य केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के समान होंगे।

राज्य सरकार द्वारा मांग समाज कल्याण मंत्री की अधिकार में - शासनदेश संख्या-1056/65-1-97-18(1)/96
बिकलांग कल्याण अनुमान-1, लखनऊ दिनांक-4 सितम्बर, 1997 के अंतर्गत 'राज्य समन्वय समिति' तथा सचिव, बिकलांग कल्याण की अध्यक्षता में शासनाधिकार संपन्न-1706/65-1-97-18(2)/96 बिकलांग कल्याण अनुमान-1, लखनऊ दिनांक-20 नवम्बर, 1997 के अंतर्गत राज्य कार्यन्वयन समिति का गठन किया जा चुका है।

इसमें धारा 13 से 24 तक कुल 12 धाराएं हैं।

अध्याय-4 बिकलांगताओं की शीर्ष पहचान व निर्वाचन :- अपनी आर्थिक क्षमताओं और विकास की सीमाओं में उपयुक्त स्थानीय प्रगतिकरण बिकलांगताओं के तत्कालीन निर्वाचन की दृष्टि से निम्न कार्य करने :-
1- बिकलांगताओं के कारणों से समबूध सरदार का जांच और अनुसंधान करना अथवा करना।
2- बिकलांगताओं के निर्वाचन के विभिन्न उपायों को प्रोत्साहित करना।
3- संभावित बिकलांगता से समबंधित मामलों में पहचान के प्रयोजन से एक वर्ष में एक बार सभी बच्चों की जांच करना।
4- प्राथमिक स्थायी केन्द्रों पर कर्मचारी वर्ग की प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
5- लागू संबंधित अभियोजन को प्रायोजित करना या करना। बिकलांगताओं की शीर्ष पहचान व निर्वाचन के समबूध में धारा 25 में विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।

अध्याय-5 शिक्षा :- इसके अंतर्गत 18 वर्ष तक के बिकलांगों को निवृत्ति, छात्रावृत्ति, परिवहन, सुविधा, सामान्य विकासविधायों में बिकलांग सारों का अधिकार, बिकलांगों के लिए विशेष विकालय, अंशाकल्पक व औपचारिक शिक्षा व मुक्त विकालय/विश्वविद्यालयों के निर्माण से निवृत्ति, सुविधा उपलब्ध कराने जाने तथा बिकलांग बच्चों को समान अवसर देने के उद्देश्य से सहायक यंत्रों के लिए अनुसंधान का प्रोत्साहित करने के समबूध में दिशा दिया गया है।

इस अध्याय में धारा 31 तक कुल 6 धाराएं हैं।

अध्याय-6 रोजगार :- यह अध्याय विकलांगों के सेवायोजन से समबूधित है। इसके अंतर्गत विकलांगों के लिए पदों का जिन्दीकरण, विविध पदों के सार्वजनिक VH,HH तथा PH वर्ग के लिए 1-1 प्रतिशत का आक्राम (समस्त राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों और राजस्विक क्षेत्रों तथा घरेलू उत्पादन के व्यापक में) प्रदान किये जाने की विशेष विश्लेषण दिया गया है।

हाता 33 के अंतर्गत शासनीय कुद्रत स्पष्ट अध्याय-PH मूक बिकलांग-HH तथा वृद्धि-VH विकलांगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों में 1-1 प्रतिशत का आक्राम प्रदान किये जाने विशेष शासनाधिकार जारी किया जा चुका है। धारा-34 के अंतर्गत बिकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित करने की अपेक्षा है जिसके अनुसार में राजस्विक, अमृत द्वारा ऐसे कार्यालय का स्थापना की जाती है।

अध्याय-7 सकारात्मक कार्ययात्रा :- सरकार विकलांग व्यक्तियों को सहायक अंग तथा उपकरण प्रदान करेगी एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए आवास, विभाग, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं केंद्र, विशेष स्वास्थ्य, अनुसंधान केंद्रों तथा विकलांग व्यक्तियों को मृदुलित है रिहायशी दरसे पर आवंटित किये जाने के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी।

इसमें 42 से 43 तक कुल 2 धाराएं हैं।
अध्याय-8 अध्यायमात्र - सरकारी परिवहन अपनी सुविधाओं, सुख साधनों को अनुकूल बनाने के लिए विशेष उपाय करें जिससे के यह हैवी चेयर प्रयोग करने वाले विद्यालये व्यक्तियों के लिए आसान पहुँच वाले बन सके।

सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण भी अपनी क्षमता के अन्तर्गत चौराहों पर लाल बती संकेत के साथ-साथ अलग संकेत, हैवी चेयर लाने वाले व्यक्तियों के लिए रूढ़ क पार निरंतरता तथा नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए जेबसा क्राफ्ट पर उर्फें व्यवस्था करेंगी।

कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान विकलांग होने पर उनकी सेवाये समाप्त नहीं करेगा। कोई नियोक्ता विकलांगता के आधार पर किसी कर्मचारी को पदोन्नति भी माना नहीं करेगा। यदि कार्य की कर्मी के श्रेणी भर से भर तक के भेदभाव को रोकेगा।

इस अध्याय में 44 से 47 तक कुल 4 घातांक हैं।

अध्याय - 9 अनुसंधान व मानव शक्ति विकलांग - सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण विकलांगता निवारण, विकलांगों के पुनर्वास, सहायता योजना के निर्माण, विकलांगों के लिए रोजगारों की पहचान तथा फैक्टोर्स एवं कार्यालयों में विकलांगों के अनुकूल सरचना, सुविधाएं तथा विकलांग को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेंगी।

अध्याय -10 विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वस्थित संस्थाओं का वर्तमान - इस अधिनियम के पारित होने के 6 माह के अंदर विकलांग व्यक्तियों हेतु कार्यक्रम तथा प्रतिष्ठान चलाने वाले व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान के पंजीकरण प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे। यह प्रमाण पत्र स्वस्थ अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा तथा उस अवधि तक प्रभावी रहेगा जितनी अवधि तक राज्य सरकार ने उसे प्रदान किया है। सरकारी संस्थाओं को ऐसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

धारा 50 के अन्तर्गत दिरेक्ट, विकलांग कल्याण, ज्ञायता को स्वस्थित संस्थाओं के पंजीयन हेतु स्वस्थ प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। तथा धारा 51 से 55 के अन्तर्गत स्वस्थित संस्थाओं के पंजीयन हेतु पंजीयन नियमावली बन गयी है।

इस अध्याय में धारा 50 से 55 तक कुल 6 धाराएं हैं।

अध्याय-11 गांवीर विकलांगताप्रस्तुत व्यक्तियों के लिये संस्थाओं - 80 प्रतिशत अधिकारियों के जील विकलांगता प्रस्तुत व्यक्ति माने जाते हैं। सरकार उनके लिये संस्थाएं की जीलपाना द उनका रख-रखाव करेंगी। जहाँ कहीं सरकारी मानदंड के अनुसार निजी संस्थाओं संचालित हैं वहाँ ऐसी संस्थाओं को गांवीर विकलांगता प्रस्तुत व्यक्तियों के लिये उपयुक्त संस्था के रूप में मान्यता दी जायेगी।

इस अध्याय में धारा संख्या 56 मात्र एक धारा है।

अध्याय-12 विकलांग व्यक्तियों के लिये मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त - केंद्र सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विकलांग व्यक्तियों हेतु "मुख्य आयुक्त" तथा राज्य सरकार राज्य में विकलांगों के लिये "आयुक्त" नियुक्त करेगी। मुख्य आयुक्त विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गये धन के उपयोग को मान्यता करने में समानता आयुक्त का कार्य करेंगे तथा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगे।

(55)
मुख्य आपूर्तक एवं आपूर्तकों को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत गवाहों को बुलाने, साक्ष्य प्राप्त करने हेतु हलफानें लेने व उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये किसी न्यायालय के अधिकारी के समान शक्तियों प्राप्त होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनाधीन संख्या-945/65-2-98-129-99 विकलांग कल्याण अनुमान-2 दिनांक 18 सितम्बर, 1998 के अंतर्गत आपूर्तक कार्यालय की स्थापना कर दी गयी है। सचिव, विकलांग कल्याण, को आपूर्तक नामित किया गया है।

इस अधिनियम में 57 से 65 तक कुल 9 धारायें हैं।

अध्याय-13 सामाजिक सुरक्षा:— इसके अंतर्गत सभी विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वसन की अपेक्षा की गयी है जिसके लिए स्वैपक्षिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रार्थनार्थ किया गया है। धारा 68 में ऐसे बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों जिनकी आयु 18 से 37 वर्ष के भीतर हो तथा जो विशेष सेवायोजन केंद्रों में 2 वर्ष से अधिक की अवधि से पंजीकृत हों, को बेरोजगार भत्ता दिये जाने का प्रार्थनार्थ किया गया है। रोजगार में लगे विकलांग व्यक्तियों के लिए बीमा योजना और यदि आवश्यकता हुई तो बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों के लिये भी बीमा योजना लागू किये जा रही की व्यवस्था का प्रार्थनार्थ किया गया है।

अध्याय-14 विवेचन:— इस अध्याय में यह व्यवस्था दी गयी है कि जो भी व्यक्ति विकलांग व्यक्तियों के लिये निर्धारित लाभों को प्राप्त करने के लिये कपट या धोखाधड़ी का प्रयास करेगा उसे 2 वर्ष का कारायाय का रूप 20,000/- लुप्तमान अथवा दोनों दोनों से दण्डित किया जायेगा।

सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए सभी प्रकार के नियम और विनियम बनाने का प्राधिकार होगा।

इसमें 69 से 74 तक कुल 6 धारायें हैं।

नोट: कृपया विवरण के लिए अधिनियम देखें।